राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र. दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F. No. स्वा.एव.प.क.वि./ प्र0शा0 / 2022/1067 दिनांक: 28.03.2022

सेवा में

उप–सचिव, (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

विषय: विधान सभा सत्र दिनांक 29.03.2022 में माननीय विधायक श्री पवन शर्मा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या –153 का उत्तर ।

(अतारांकित प्रश्न संख्या – 153)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बंधित उत्तर की 100 प्रतियां, PDF सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

यह सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है ।

ओ० पी० पाण्डे
28.3.22
(ओ. पी. पाण्डे)
उपसचिव (प्रश्न शाखा)

संलग्न –उपरोक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : अतारांकित

प्रश्न संख्या : 153

दिनांक : 29.03.2022

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री पवन शर्मा

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सभी सेवा निवृत कर्मचारियों का ईलाज डीजीईएचएस पैनल पर सभी प्राईवेट हॉस्पिटलों में कैशलेस किया जाता है।	जिन सेवानिवृत कर्मचारियों ने DGEHS योजना चुनी है और उसके लिए अंशदान शुल्क अपनी उचित पात्रता के हिसाब से जमा किया है उनका इलाज प्राइवेट इंपैनल्ड अस्पतालों मे कैशलैस है। जिन्होंने 10 सालो का अंशदान एक साथ जमा किया है वे आजीवन कैशलैस सुविधाओ के लिए योग्य है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों के सभी जांच / टेस्ट भी डीजीईएचएस पैनल पर सभी प्राईवेट हॉस्पिटलों में कैशलेस होते है ।	जिन सेवानिवृत कर्मचारियों ने DGEHS योजना चुनी है और उसके लिए अंशदान शुल्क अपनी उचित पात्रता के हिसाब से जमा किया है उन कर्मचारियों की सभी जांच / टेस्ट भी डीजीईएचएस पैनल पर सभी प्राईवेट इंपैनल्ड अस्पतालों मे कैशलैस है। जिन्होंने 10 सालो का अंशदान एक साथ जमा किया है वे आजीवन कैशलैस सुविधाओ के लिए योग्य है।
ग	क्या यह भी सत्य है कि रिटायर कर्मचारियों को कुछ जांच जो सीजीएचएस लिस्ट में नहीं है, उस जांच को नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार ने प्राईवेट हॉस्पिटल को आदेश दे रखा है।	ऐसा कोई आदेश नहीं है।
घ	यदि नहीं तो डीजीईएचएस पैनल के प्राईवेट हॉस्पिटलों द्वारा रिटायर कर्मचारियों के कुछ ऐसे टेस्ट / जांच जो सीजीएचएस लिस्ट में नहीं है, को कैशलेस नहीं करने के क्या कारण हैं ।	DGEHS योजना के अनुसार जो टेस्ट या जांचे CGHS लिस्ट में नहीं है उनके लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है। इमरजेंसी की स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के भी टेस्ट या जांचे की जा सकती है जिनकी अनुमति इलाज के बाद दी जाती है।और उनका रिम्बर्समेंट एम्स/जी.बी.पंत, या दिये गये निर्धारित न्यूनतम रेट पर किया जाता है ।
ङ)	रिटायर कर्मचारियों को कुछ ऐसे जांच, जो सीजीएचएस लिस्ट में नहीं है, उस जांच को डीजीईएचएस पैनल पर प्राईवेट हॉस्पिटलों में कैशलेस करने के लिए क्या प्रावधान है. पूर्ण ब्यौरा दें?	ये सेवाएं कैशलैस ही होती है परंतु इनके लिए अनुमति अनिवार्य है।

मनीषा
27-3.2022

(मनीषा सक्सेना)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

MANISHA SAXENA
Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02